RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-03
March-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार : एक विवेचना

विनीता

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग NIILM विश्वविद्यालय, कैथल (हीरयाणा)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 13 March2019

Keywords
मौलिक अधिकार, निजता, सर्वोच्य न्यायालय, भाग–3, संविधान, वाद, बनाम, अनुच्छेद 21.

ABSTRACT

मौलिक अधिकार हमारे जीवन का आधार है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारो का प्राप्त होना आवश्यक है, उन्हे हम मौलिक अधिकार कहते है। शुरूआत से ही निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की माँग उठाई जा रही थी। वर्ष 1954 में "एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चन्द्रा गद" से हो निजता के अधिकार पर बहस शुरू हो चुकी थी। परन्तु इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया अंततः 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सद्स्यीय खण्छपीठ ने ' के. एस. पुत्तास्वामी बनाय भारत सघं' वाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 'निजता के अधिकार' को संविधान के 'अनु. 21' के 'जिवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार' का अभिन्न हिस्सा माना, जिसे संविधान के 'भाग 3' द्वारा गारण्टी प्रदान की गयी है।

भूमिका :– मौलिक अधिकार हमारे जीवन का आधार है। भारतीय संविधानं में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए है। सबसे पहले सन् 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों की माँग उठाई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारो की माँग उठाई । 1928 में नेहरू समिति ने भारतीयों के लिए अधिकारों की माँग की थी। 1933 में करची में हुए काग्रेस अधिवेशन तथा 1945 में सप्तू समिति ने मौलिक अधिकारों का मसला जोर–शोर से उठाया था। फिर भी भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही नागरिको को मौलिक अधिकार दिए गए। 26 जनवरी 1950 से लागू देश के नए सविधान में भारत के नागरिकों को 'भाग तीन' में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए। परन्तु हमारे मूल संविधान में निजता के अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। संविधान के लागू होने से अब तक लोगों के निजता के लागू होने से अब तक लोगों के निजता के अधिकारों का हनन होता रहा है। इसलिए शुरूआत से ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की माँग उठाई जा रही थी और अंततः 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया।

शोध–प्रविधि :– इस शोध–पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीय स्रोतों से ग्रहण की गई है। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ शोधकर्त्री ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई हैं।

निजता के अधिकार :– बनाम मौलिक अधिकार निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा है यह संविधान के भाग–तीन के तहत प्रदत आजादी का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान कि भाग–3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। अनुछेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

- जीने के अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है।
- जीने के अधिकार और निजि स्वतंत्रता को अलग–अलग नहीं किया जा सकता ।
- व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता की चाह, समानता ये सब भारतीय संविधान के आधारभूत स्तंत्र हैं
- जीवन और व्यतिगत स्वतंत्रता संविधान की रचना नहीं है बल्कि संविधान इन्हें मान्यता देता है।
- प्राइवेसी (निजता) का अधिकार जीने और निजी स्वतत्रता के अधिकार से निकलता है। मौलिक अधिकारों के विभिन्न तत्वों से भी निजता का अधिकार निकलता है।

लेखक 'ऐन रैड' ने कहा है "सभ्यता निजता की और समाज का उचित विकास है, जानवरो का सब कुछ सार्वजनिक है।" निजता का अधिकार वो अधिकार है जिसकी खुशबू संविधान में है। जज साहिबान ने बताया हैं कि संविधान के बगीच में अलग–अलग अधिकारों से जो खुशबू आ रही है वो निजता के अधिकार की खुशबू आ रही है इस खुशबू के बगैर संविधान की बगिया की रौनक फीकी पड जाति है। 24 अगस्त 2017 के फैसले में बस यही हूआ है कि यह जासमीन नहीं, गुलाब नहीं, खस नहीं बल्कि निजता का अधिकार है। मौजूदा समय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्य न्यायालय ने जुलाई 2017 में आधार

RRIJM 2015, All Rights Reserved

संख्या के संबंध में निजता के अधिकार के मुद्दे पर विचार करने हेतू न्यायाधीश 'जगदीश सिंह खेहर' की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संविधान पीठ गठित की गई । 24 अगस्त 2013 को तमाम वाद–प्रतिवादों के बाद अंततः सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 'के. एस. पुतास्वामी बनाम भारत संघ' वाद में 'ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 'निजता के अधिकार' को संविधान के 'अनुछेद–21' के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना, जिसे सविधान के 'भाग–3' द्वारा गारण्टी प्रदान की गई है। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने एम. पी. शर्मा वाद में आठ न्यायाधीशों की खण्डपीठ एवं 'खडक सिहं वाद' में 6 न्यायाधीशों की खण्डपीठ द्वारा दिए गए अपने पूर्व के निर्णयों को बदल दिया। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती दोनों निर्णयों में निजता के अधिकार को मूल अधिकार नहीं माना गया था। इसके अलावा आपातकाल के समय 'ए.डी.एम. जबलपुर बनाम्', एस. एस. शुक्ला वाद–1976 में सुप्रीम कार्ट के न्यायाधीश 'वाई. वी. चन्द्रचूड' ने जिस प्रकार से राष्ट्र के लोगों के जीवन में झाँकने की अनुमति दी थी, उसकी तुलना में मौजूदा निर्णय एक प्रगतिशील एवं उदारवादी फैसला कहा जा सकता है। निजता का अधिकार भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद उपयोगी, उपादेय एवं गतिशील बनाना जरूरी है।

क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने ?

- निजता का अधिकार न केवल सामान्य विधि अधिकार एवं मूल अधिकार है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति में अन्तर्निहित प्राकृतिक अधिकार भी है ।
- निजता का मौलिक अधिकार निरपेक्ष या असीमित नहीं है, बल्कि विशेषीृति प्रतिविधानों एवं प्रतिबंधों के अधीन है। यह वह अधिकार है, जो राज्य एवं गैर – राज्य शक्तियों के हस्तक्षेप से व्यक्ति के आंतरिक क्षेत्र को रोकता है।
- चूंकि जनता के कल्याण के लिए सरकार को अपने स्तर पर कदम उठाने का अधिकार प्राप्त है इसलिए इस फैसले के बाद उसके ऐसे कदमों को इस कसौटी पर कसा जा सकता है कि कहीं के मूल अधिकार बन गए निजता के अधिकार का हनन तो नहीं करते ।
- इस फैसले के बाद सरकार द्वारा जनता की निजि जानकारी का अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल गैर–कानूनी माना जा सकता है। निजता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को कई कानूनों में बदलाव करने पड सकते है
- यदि सरकार के ऐसे कदमों को चुनौती दी गई तो उसकी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवालिया निशान भी लग सकते हैं? शीर्ष अदालत के नवीनतम फैसले में राष्ट्रीय सुरक्षा, अपराध रोकने एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार की भूमिका को प्राइवेसी का उल्लघन नहीं माना गया है लेकिन इस फैसले के बाद सरकार अब किसी नागरिक को निजी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।
- निजता में शामिल–व्यक्तिगत संबंधों एवं पारिवारिक जीवन की पवित्रता, गोपनीयता, दाम्पत्य जीवन, घर परिवार एवं यौन – उन्मुखता का सरंक्षण इसमें एकांत छोड़ देने का अधिकार व व्यक्तिगत प्राथमिकता भी शामिल है।
- व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता भारतीय संविधान का आधार है। संविधान ने जीवन और स्वतंत्रता को व्यक्ति में सन्निहित माना है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता निजता मानव गरिमा का मूल तत्व है, यह पीवनपर्यत चलने वाला एक स्वाभाविक या प्राकृतिक अधिकार है।
- एक उदारवादी एवं प्रभावी लोकतंत्र की अवधारणा में मानव जीवन के कतिपय पहलुओं में प्रवेश करने का राज्य। सरकार को अवाध अधिकार नहीं होना चाहिए और प्राधिकार के अधिकार को संवैधानिक अधिकारो से सीमित करना चाहिए, मूल अधिकार एकमात्र वे अधिकार है, जों राज्यों को ऐसा करने से रोकता है, जिनमें निजता का अधिकार भी शामिल है।
- निजता के अधिकार में सकारात्मक एंव नकारात्मक दोनों विषय शामिल है, नकारात्मक विषय नागरिक से व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वाभाविक अधिकारों में राज्य की घुसपैठ को रोकता है, वहीं इसका सकारात्मक विषय व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य को सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व सोंपता है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में सरकार के उस तर्क का भी समर्थन किया गया है कि डिजिटल माध्यम कल्याणकारी राज्य में बेहतर, पारदर्शी एवं गुणवतापूर्ण शासन स्थापित करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। इस हेतू व्यक्ति, समाज तथा उससे जुडी चीजों से संबधित आँकडो का संग्रहण उचित ही है, समग्र व समावेशी विकास एवं विभिन्न समुदायों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी सामाजिक आर्थिक उन्नयन की योजनाओं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के उचित निर्धारण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतो से व्यक्ति विशेष के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुटायी जाती है, मगर इन आँकडों के संग्रहण एवं संरक्षण के लिए उचित मापदण्डो का विकास किया जाना भी सरकार का अहम् दायित्व है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

"निजता के अधिकार" का संवैधानिक विकास

- वर्ष 1954 में "एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चन्द्रा वाद" से ही निजता के अधिकार पर बहस शुरू हो चूकी थी, जिसके अंतर्गत सर्वोच्य न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना, तथापि उक्त संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अमेरीका के चौथे संसोधन की तरह भारतीय सविधान में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट पहचान या व्याख्या नहीं दी गयी है, उल्लेखनीय है कि इस संबंध में "अपराध प्रक्रिया विधन, 1898" की धारा 96 की वैधता को चुनौति दी गयी है। जिससे छापेमारी का अधिकार राज्य को प्राप्त है, यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंकगक होगा कि अमेरीकी संविधान के चौथे संशोधन के आधार पर संविधान सभा में 'काजी कर्रामुद्दीन' ने एक संशोधन पेश किया था, जो खारिज हो गया था।
- वर्ष 1962 में "खडग सिहं बनाम उत्तर प्रदेश वाद" में यह बात फिर उभरकर सामने आयी कि क्या सरकार या पुलिस प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर लगातार निगरानी रखना उचित है। यद्यपि उक्त मामले में सर्वोच्य न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात स्वीकार की गई मगर निजता के अधिकार को मूलभूत या मौलिक अधिकार नहीं माना गया । सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के 'अनुच्छेद 21' (जीवन एवं व्यक्तिगत आजादी का अधिकार) के तहत् अवैध करार दिया और स्पष्ट किया कि चूँकि निजता एक संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है, इसलिए किसी के आने–जाने पर नजर रखना मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है।
- वर्ष 1975 में 'गोविदं बनाम मध्य प्रदेश सरकार' वर्ष 1978 में मेनका गांधी बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया वाद' तथा वर्ष 1994–1995 में 'राजगोपाल बनाम् तमिलनाडु राज्य वाद' में सर्वोच्च न्यायालय ने 'अनुच्छेद 19' तथा 'अनुच्छेद 21' के तहत् निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना यद्यपि आपातकाल के दौरान 'ए.डी.एम. जबलपुर बनाम, एस. एस. शुक्ला' वाद के दौरान वर्ष 1976 में (वंदी प्रत्यक्षीकरण वाद) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 'वाई. वी. चन्द्रचूड' ने निजता के अधिकार को निरस्त माना और लोगों के व्यक्तिगत जीवन या निजता में तांक–झांक को वैध माना।
- वर्ष 1994–95 के 'राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी नागरिक को अपने – अपने परिवार शिक्षा तथा विवाह इत्यादि के मामले में निजता की रक्षा का अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति को अपने बारे में ऐसी किसी सूचना या संदर्भ के सार्वजनिक प्रकाशन के प्रति असहमति है, तो किसी भी प्रकार से उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता।
- वर्ष 1996–97 में 'पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ' के मामले में भी फोन टैपिगं के संदर्भ में विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार 'अनुच्छेद 21' के तहत् प्राप्त एक अधिकार हैं।
- वर्ष 2009–10 में जब सप्रंग सरकार द्वारा आधार परियोजना की कवायद शुरू की गई तब निजता के सार्वभौमिक एवं मूल अधिकार में शामिल किये जाने के मुद्दे पर कई तरह के नये–पुराने विवाद उठने लगे वर्ष 2012 में जब तत्कालीन सप्रंग सरकार ने नागरिको के लिए बायोमिट्रिक डाटा आधारित आधार कार्ड आरंभ करने के निर्णय को मूर्त रूप प्रदान किया, तब निजता के हनन को लेकर कई विरोध के स्वर उठ खडे हुए। वर्ष 2013 में उच्च न्यायाल्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश 'के.एस. पुत्तास्वामी' के नेतृत्व में समाज के कुछ प्रवुजनो द्वारा आधार योजना के विरोध में सर्वोच्य न्यायालय में याचिका दायर की याचिकाकर्त्ताओं द्वारा आधार योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले 'बायोमीट्रिक' (आँख की पुतली, अँगुलियों के निशान आदि) सूचना को निजता का हनन बताया गया, उपरोक्त याचिकाओं को 11 अगस्त 2015 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया गया, 18 जुलाई 2017 को जब 'जे. एस. खेहर' की अध्यक्षता बाली पीठ ने इस मुद्दे पर सुनवाई प्रारभं की तो केन्द्र सरकार ने एम.पी. शर्मा वाद तथा खडग सिहं वाद की तरह इसमें सदस्यों को बढ़ाने की माँग की, अतः इसे 5 सदस्यीय खण्ड़पीठ ने 9 सदस्यीय खण्ड़पीठ के पास भेज दिया गया और तत्पश्चात् 19 जुलाई 2017 से इस मुद्दे पर फिर से वाद–विवाद तथा सुनवाई शुरू हो गई ।

निजता को अधिकार :– सुनावाई का घटनाक्रम 7 जुलाई 2017 : तीन न्यायधीशो की पीठ ने कहा कि आधार को लेकर उठ रहे मुद्दो पर अंतिम व्यवस्था बड़ीद पीठ देगी और संविधान पीठ के गठन की जरूरत पर निर्णय भारत के प्रधान न्यायाधीश करेगें।

07 जुलाई : मामला प्रधान न्यायधीश के समक्ष उठाया गया, सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ का गठन।

18 जुलाई : 5 न्यायधीशों वाली संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित करने के संबंध में फसले के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ के गठन का फैसला लिया।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

नौ न्यायधीशों की संविधान पीठ में न्यायधीश जे.एस खेहर न्यायमूर्ति आर. के अग्रवाल न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति ए.एम सप्रें, न्यायमूर्ति डी.वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस. अब्दूल नजीर निजता के मामले की सूनवाई करेंगे।

19 जूलाई : उच्चतम् न्यायालय ने कहा कि निजता का अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता, नियमन किया जा सकता है।

19 जुलाई : केन्द्र ने उच्चतम् न्यायालय ने कहा कि नियमन का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।

26 जुलाई : कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब और पुडुचेरी, गैर – भाजपा शासित राज्य निजता के अधिकार के पक्ष में न्यायालय पहूँचे।

26 जुलाई : केन्द्र ने न्यायालय से कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन कुछ अपवादो–शर्तो के साथ।

27 जुलाई : महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि निजता का अधिकार कोई इकलौती चीडा नहीं है। यह व्यापक विचार है।

01 अगस्त : न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर व्यक्ति की निजी सूचनाओं की सुरक्षा के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश होने चाहिए।

02 अगस्त :–न्यायालय ने कहा कि प्रौद्योगिकी के दौर में निजता की सुरक्षा का सिद्धांत एक हारी हुई लड़ाई है, फैसला सुरक्षित रखा।

24 अगस्तः– न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया ।

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वम्मति से यह फैसला किया । कोर्ट ने 1954 में 1954 में 8 जजों की संवैधानिक बेंच के एम.पी. शर्मा केस और 1962 में 6 जजों की बंच के खडग सिहं केस में दिए फैसले को पलट किया। इन दोनों फैसलों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार स्वीकार नहीं किया गया था। ताजा फैसलों में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार स्वीकार नहीं किया गया था। ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता का अधिकार कुछ तर्कपूर्ण रोक के साथ ही मौलिक अधिकार में तर्कपूर्ण रोक होती ही है। जीवन का अधिकार भी संपूर्ण नहीं है।

निष्कर्ष :–

दुनिया का कोई भी नीति नियामक ऐसा या हानिकारक हो और जिसमें समयानुरूप फेर बदल न किया जा सके। हाँ, इतना अवश्य है कि सही नीति नियमन नियोजन एवं क्रियान्वयन से किसी भी नीति नियामक को अधिकतम उपयोगी, उपादेय एवं जवाबदेह बनाया जा सकता है। 'निजता का अधिकार' भी इसी का उदाहरण है। यह स्वयं में न तो विशुद्ध रूप से लाभदायक है और न ही हानिकारक हाँ अगर इसे लागू करने से पूर्व अगर सरकार कुछ बातों का ध्यान रखती है, तो इस अवश्य अधिक जनोपयोगी बनाया जा सकता है। जैसे :–

1. भारतीय संदर्भ में निजता गोपनीयता को सही ढ़ग से परिभाषित किया जाये।
2. विभिन्न प्रकार की परिस्थितियो के अनुरूप निजता के लिए प्रभावी मानक एवं सीमाएँ तय करना।
3. निजता के अधिकार के अनुरूप सूचना के अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आधार अधिनियम सहित तमाम अन्य सम्बई नीति–नियामको को प्रभावी बनाना ताकि ये सभी एक–दूसरे के विरोध का नहीं, बल्कि समायोलन एवं पूरक का पर्याप्त बन जाए।
4. आम नागरिकों की गोपनीय जानकारी को सुरक्षा के प्रभावी उपाय किये जाये।
5. राज्य सरकारों, केन्द्र सरकारों तथा शासन–प्रशासन में इस संदर्भ में नीति नियमन एवं क्रियान्वयन्त्र के स्तर पर बेहतर तालमेल। अगर उपरोक्त तमाम उपायों पर ध्यान दिया जाये तो निजता का अधिकार अवश्य मजबूत लोकतंत्र की स्थापना में सहयोगी बन सकता है।

संदर्भ –सूची

1. हमारा संविधान : सुभाष कश्यप
2. भारतीय संविधान का परिचय : डी.डी. वसु
3. भारत की राज्यव्यवस्था : एम. लक्ष्मीकांत
4. निजता का अधिकार बनाम मौलिक अधिकार : एक समीक्षा – शंकर प्रसाद निवारी
5. राजनीति शास्त्र – जी.एन. रस्तोगी।

RRIJM 2015, All Rights Reserved